

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।
सरदारशहर (21) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री भंवरलाल शर्मा, बार्ड न. 34, सरदारशहर जिला- चूरु (राजस्थान) जो इंडियन नेशनल
काँग्रेस को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से
निर्वाचित हो गये है।

स्थान : चूरु

तारीख : 11.12.2018

(मूलचन्द लूणिया)

रिटर्निंग अधिकारी
मूलचन्द लूणिया

वि.स.क्षेत्र सरदारशहर (21)

वि.स.क्षेत्र सरदारशहर (21) चूरु
सरदारशहर

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)


**Declaration of the result of Election under section 66 of the
Representation of the People Act, 1951.**

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from Sardarshahar (21)
Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of
Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Bhanwarlal Sharma, Ward no. 34, Sardarshahar, Distt- Churu (Rajasthan)
sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in
that House from the above constituency.

Place: CHURU
Date: 11.12.2018


(Moolchand Luniya)
RETURNING OFFICER.21
AC SARDARSHAHAR (21)
(SDM) SARDARSHAHAR